प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 782 सन 2021
अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र हस्ताराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 91/95 के खसरा न0 464/1.470हैक कुल 6.7650हैक भूमि मुश्तरका खाते में वादी का 1151/1353 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 719/6765हिस्सा दर्ज था।

रोही मौजा गोरखाना के खसरा न0 464/1 की 2.2380हैक व खसरा न0 470 की 4.5270हैक में से 1.10 बीधा भूमि जरिये बैयानामा दिनांक 13.08.1997 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान किया था जिसका नामान्तकरण संख्या 409 भी स्वीकृत हुआ जिसमें 1.10 बीधा भूमि अंकित थी किन्तु हकदारान रजिस्टर में भी 1.10 बीधा भूमि दर्ज हो गई किन्तु जमाबन्दी बनाते समय 1.10 बीधा भूमि के स्थान पर 1.01हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.01 हैक भूमि में से 0.291हैक भूमि जरिये बैयनामा बेचान कर चुका है बेचान करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.719हैक भूमि बची है जो वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है।

वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को 1.10 बीधा भूमि का बेचान किया गया था किन्तु सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.01 हैक भूमि दर्ज हो गई अर्थात बैयनामा से अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई वादी अपने हक हिस्सा की भूमि जो बैयनामा से अधिक प्रतिवादी संख्या 1 क नाम दर्ज हुई है को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के द्वारा जरिये बैयनामा बेचान की गई भूमि से अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई को बैयनामा से अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई को वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी हे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 91/95 की कुल 6.7650हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.719हैक अर्थात 719/67650हिस्सा भूमि दर्ज है वादी ने जरिये बैयनामा दिनांक 13.08.1997 को 1.10 बीधा भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 को किया गया था जिसका नामान्तकरण भी दर्ज हो गया था किन्तु जमाबन्दी बनाते समय वादी के हक हिस्सा की भूमि में से 1.01हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी अर्थात बैयनामा से अधिक भूमि वादी की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी जिसे वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतरज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 91/95 की कुल 6.7650हैक्ट भूमि मुश्तरका खाते में वादी का 1151/1353 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 719/6765हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज था।

वादी का कथन है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये बैयनामा दिनांक 13.08.1997 को 1.10 बीधा भूमि खरीद की गई थी वादी के बैयनामा के अनुसार नामान्तकरण भी दर्ज हो गया था किन्तु जमाबन्दी बनाते समय वादी के द्वारा बेचान की गई 1.10 बीधा भूमि के स्थान पर 1.01हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई है अर्थात बैयनामा से अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई जिसे वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके द्वारा वादी से खरीद की गई भूमि से अधिक भूमि सहवन से राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज हो गई है वादी के द्वारा करवाये गये बैयनामा से अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है जिसे वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात बैयनामा /नामान्तकरण /हकदारान रजिस्टर के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से 1.10 बीधा भूमि का खरीद की गई थी जिसका नामान्तकरण भी दर्ज हो गया था एवं नामान्तकरण के अनुसार हकदारान रजिस्टर में भी अंकन हो गया था किन्तु आगामी जमाबन्दी बनाते समय वादी के द्वारा बेचान की गई 1.10 बीधा भूमि के स्थान पर 1.01हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी अर्थात बैयानाम से अधिक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई जिसे वादी अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है जिसके सम्बध में प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार का ऐतराज नही है व ईकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 91/95 की कुल 6.7650हैक्ट में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 719/67650 हिस्सा अर्थात 0.719हैक्ट भूमि दर्ज है मे से 0.6305हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कलमजन की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... गोरखाना.

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र हस्ताराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 हनुमान पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 782 सन 2021 निर्णय दिनांक– 27.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 91 / 95 की कुल 6.7650हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 719 / 67650 हिस्सा अर्थात 0.719हैक भूमि दर्ज है मे से 0.6305हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कलमजन की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....गोरखाना

सत्यमेव जयते